2018/00087

## फर्द अहकाम

### नियम 26

अज अदालत...........**सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा**.................मुकाम...................**भादरा**.........................

.......................................... **सुरेशकुमार**...........बनाम्.............**विजयसिंह आदि**

किस्म मुकदमा.......... **RTAct. 212** .........नं० 27/18 सन्............ **2018** ............................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---|---|---|
| 11.05.18 | आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण के द्वारा पेश किया। रिर्पोट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर..टी. एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्राथीगण के विरूद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 21.06. 2018 तक जारी की जाती है कि कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 166 की 12.027है0, इसी प्रकार रोही मोजा आसन के खाता सं0 86/85 के खसरा सं0 8 की 7.828है0, खसरा सं0 16 की 4.262है0, बारानी कृषि भूमि को रहन,बैय व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल ना करें। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.06.2018 को पेश है।<br><br>RW<br>सहायक कलक्टर<br>(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.) | 1-2<br><br>Not present

(नोट प्रेस)

14/5/18 आज यह पत्रावली लोक अदालत कोर्ट कैम्प जरिये में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आया। वकील प्रार्थी ने पत्रावली पर नोट प्रेस आशिन किया कि अब दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा नोट प्रेस (खारिज की जाती है) पत्रावली बाद कार्य पूर्ण दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)